मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 4499/ MGNREGS-MP/NR-3/SE-II / 2012 भोपाल, दिनांक: 21/05 /2013

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी नरेगा
  जिला (समस्त)

विषयः– योजनांतर्गत कार्यों की लागत में मजदूरी एवं सामग्री के निर्धारित अनुपात में विसंगति के संबंध में।

संदर्भः– 1. म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 2443 / मॉनिट / MGNREGS-MP/NR-7/ मनरेगा / 11 भोपाल दिनांक 01.03.2011

2. म.प्र.रा.रो.गा.परिषद भोपाल का पत्र क्र. 3541 / MGNREGS-MP/मॉनिट / NR-7/ मनरेगा / 11 भोपाल दिनांक 31.03.2011

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2010–11 में कतिपय जिलो में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित नहीं होने की स्थिति में (भिण्ड, मुरैना, नरसिंहपुर, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, दतिया, सिंगरौली, बुरहानपुर, शिवपुरी, गुना को छोड़कर) शेष जिलों में स्टॉप डेम एवं अन्य किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण कार्यों की स्वीकृति को विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 से प्रतिबंधित किया गया था एवं अभिसरण कर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 सुनिश्चित करते हुए पक्के निर्माण कार्य लिये जाने हेतु परिषद् के सदंर्भित पत्र क्र. 2 से स्थिति स्पष्ट करते हुए लेख किया गया था कि अभिसरण अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों को सभी जिलों में नियमानुसार स्वीकृति दी जा सकेंगी। किन्तु मजदूरी एवं सामग्री अनुपात सुनिश्चित करने हेतु अभिसरण के अंतर्गत विधायक एवं अन्य मद की राशि का उपयोग कार्य में पहले सुनिश्चित किया जावेगा।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की मूल अवधारणा के अनुसार कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात के संबंध में **"भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–3 उपखण्ड–(ii) क्रमांक 756 दिनांक 01 अप्रैल 2013 में अधिनियम की अनुसूची 01 के पैरा 09 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों में मजदूरी और तात्विक लागत के लिए 60 और 40 का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायेगा और सभी अन्य अभिकरणों द्वारा किये जा रहे कार्यों में भी वही अनुपात जनपद पंचायत स्तर पर रखा जाएगा"।**

अतएव जिले में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों के क्रियान्वयन में उपरोक्तानुसार कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 संधारित करते हुए कपिलधारा कूप, स्टॉप डेम एवं अन्य पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जा सकते है।

Sharma 21/5/13

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग